न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 28/2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री हरीश रूपचन्दानी पुत्र श्री वेन्सीमल, मैसर्स श्रीकृष्णा ट्रेडर्स, ठठेरा चौक, 378/22, रामायण मण्डल के पास, अजमेर।
2. जयकुमार रूपचन्दानी पुत्र श्री वेन्सीमल, मैसर्स श्रीकृष्णा ट्रेडर्स, ठठेरा चौक, 378/22, रामायण मण्डल के पास, अजमेर।
3. मैसर्स– श्रीकृष्णा ट्रेडर्स, ठठेरा चौक, 378/22, रामायण मण्डल के पास, अजमेर।

........*अप्रार्थीगण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।) एवं धारा 52 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थी स्वयं।

<u>–: आदेश :–</u>

दिनांक– 06.06.2018

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने मिसब्राण्ड शुगर बॉइल्ड कान्फेक्सनरी (Roks) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 24.05.2016 को 03.00 पी.एम. पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स– श्रीकृष्णा ट्रेडर्स, ठठेरा चौक, 378/22, रामायण मण्डल के पास, अजमेर पर पहूँचे श्री हरीश रूपचन्दानी पुत्र श्री वेन्सीमल मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को शुगर बॉइल्ड कान्फेक्शनरी (Roks) का विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान शुगर बॉइल्ड कान्फेक्शनरी (Roks) में मिलावट का शक होने पर उनमे से शुगर बॉइल्ड कान्फेक्शनरी (Roks) के 286–286 ग्राम वजनी आठ पैकेट वास्ते नमूना जॉच हेतु 352/– रूपयें श्री हरीश रूपचन्दानी पुत्र श्री वेन्सीमल को नगद देकर गवाह श्री करण सिंह तंवर तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री हरीश रूपचन्दानी पुत्र श्री वेन्सीमल को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा शुगर बॉइल्ड कान्फेक्शनरी (Roks) को चार बराबर मात्रा के नमूनों में अलग–अलग भूरे कागज में लपेटकर चारों नमूनों पर लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए–1379 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक– एफएसएसए/2016/7200 दिनांक 16.06.2016 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस./362/एक्ट /2016/412 दिनांक 06.06.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच उपयोग में लिया गया शुगर बॉइल्ड कान्फेक्शनरी (Roks) मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 16.03.2017 पेश किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 16.03.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री हरीश रूपचन्दानी पुत्र श्री वेन्सीमल को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 06.06.2018 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 06.06.2018 को अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुये उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद मे उन पर लगाये गये आरोपो को स्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि उनके द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। यदि जांच में शुगर बॉइल्ड कान्फेक्शनरी (Roks) मिसब्राण्ड पाया गया है तो इसमें अप्रार्थी की ओर से किसी प्रकार की गलती या बदनियति नहीं है। भविष्य में इस तरह की कोई गलती नही की जायेगी। उस पर कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रॉप किया जाये। चूंकि अप्रार्थी ने न्यायालय हाजा मे उपस्थित होकर अपना जुर्म कबूल किया तथा लिखित में जवाब प्रस्तुत किया एवं न्यूनतम शास्ती राशि लगाने हेतु निवेदन किया। अभियुक्त द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं

न्याय निर्णायक अधिकारी
न्याय निर्णायक अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

परिवाद मे वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया शुगर बॉइल्ड कान्फेक्शनरी (Roks) मिसब्राण्ड होना पाया गया, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी की ओर से उनके प्रतिनिधी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। इस आशय का शपथ–पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योकि प्रार्थी अभियुक्त ने उस पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति नही किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी को रु 11000/– (अक्षरे रूपये ग्यारह हजार मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 06.06.2018 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2018/2157-59 दिनांक : 14.6.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

2– अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।

3– श्री हरीश रूपचन्दानी पुत्र श्री वेन्सीमल, मैसर्स श्रीकृष्णा ट्रेडर्स, ठठेरा चौक, 378/22, रामायण मण्डल के पास, अजमेर।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner